निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 32/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामकेश मीणा पुत्र बसूलाल मीणा जाति मीणा, निवासी ए–62, उदय नगर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

सुमन पत्नी सूर्य प्रकाश सिंह राजपूत, निवासी सी–3, पीलवा गार्डन, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर।

चैन सिंह पुत्र शैतान सिंह,

मंगेज सिंह पुत्र शैतान सिंह,

सज्जन कंवर पत्नी शैतान सिंह,

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम भानपुर खुर्द, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 146/2023 व प्रार्थना पत्र संख्या 113/2023 ब–उनवानी रामकेश बनाम सुमन व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय दिनांक 24.03.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष वाद संख्या 146/2023 व प्रार्थना पत्र संख्या 113/2023 ब–उनवानी रामकेश बनाम सुमन व अन्य विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 06.10.2023 को जारी की हुई है, जो कि आज दिनांक तक यथावत है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष जवाब

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 का पति सूर्यप्रताप सिंह जो कि एक राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है एवं आर्थिक रूप से भी काफी सक्षम है। दिनांक 27.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 के पति पीठासीन अधिकारी के चेम्बर मे बैठ कर बाते कर रहे थे तथा बाहर आकर प्रार्थी को कहा कि मेरी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है तथा मेरे जवाब के आधार पर आगामी पेशी पर आपका वाद व प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाएगा। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा छोटी–छोटी तारीख पेशियां नियत की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 2 का पति राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है, जो ऐन केन प्रकारेण पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेकर प्रकरण को बिना सम्यक कार्यवाही जल्दबाजी में निस्तारित करवाने पर आमादा है। इस प्रकार प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जा रहा है, अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर